

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक, एनआईएचएफ़डब्ल्यू	1 (एक पद)	समूह 'क'	वेतन मैट्रिक्स 1,82,000- 2,24,100/- रुपये + एनपीए (संशोधित) में लेवल -15	लागू नहीं

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

<p>लागू नहीं</p>	<p>अनिवार्य</p> <p>I. चिकित्सा या शल्य चिकित्सा या जन स्वास्थ्य और उनकी शाखाओं में उच्च स्नातकोत्तर योग्यता</p> <p>II. शिक्षण और/या अनुसंधान का कम से कम दस वर्ष का अनुभव।</p> <p>III. पेशे में पच्चीस वर्ष का अनुभव।</p> <p>IV. चिकित्सा राहत, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा या जन स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र में व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव और किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थान को उसके प्रमुख या विभागाध्यक्ष के रूप में चलाने का पर्याप्त अनुभव।</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>उपर्युक्त योग्यताएं पूरी करने वाले उपयुक्त अधिकारियों की अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>चिकित्सा या शल्य चिकित्सा या जन स्वास्थ्य या उनकी शाखाओं या प्रबंधन या प्रशासन में स्नातकोत्तर योग्यता।</p> <p>पेशे में पच्चीस साल का अनुभव।</p> <p>जन स्वास्थ्य या स्वास्थ्य प्रशासन या जन स्वास्थ्य में कार्यक्रम कार्यान्वयन के क्षेत्र में व्यापक व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव</p> <p>वांछनीय:</p> <p>I) किसी महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य शैक्षणिक संस्थान या जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन को चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का नेतृत्व अनुभव</p> <p>II) कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण और/या अनुसंधान अनुभव</p>
------------------	---	------------------	------------------	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी या सांविधिक संस्था के अधिकारी संगठन:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या</p> <p>(ii) मूल कैडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 144200-218200 रुपये या समकक्ष के लेवल 14 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा।</p>	<p>लागू नहीं</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है</p>

